बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20242025-41-2-2025-CN-1792901

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से ''3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-15-अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन-42-अन्य व्यय मद में धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001400 (पर्यटन नीति 2018 के अर्न्तगत पयर्टन इकाइयों को प्रोत्साहन)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	44,50,00,000 रुपये चौवालीस करोड़ पचास लाख मात्र	34,50,00,000 रुपये चौंतीस करोड़ पचास लाख मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	37,00,00,000 रुपये सैंतीस करोड़ मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 7,50,00,000**	**₹ 7,50,00,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452808001500 (अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन)	42 (अन्य व्यय)	12,00,00,000 रुपये बारह करोड़ मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	7,50,00,000 रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र	19,50,00,000 रुपये उन्नीस करोड़ पचास लाख मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 7,50,00,000**	**₹ 7,50,00,000**		

उपरोक्त पुनर्विनियोग धनराशि निम्नलिखित शर्तो व प्रतिबंधों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

1- उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक 3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-14-पर्यटन नीति 2018 के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों को प्रोत्साहन 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) में रु0 750.00 लाख की बचत सम्भावित है। उक्त मद में रु0 4500.00 लाख का प्राविधान किया गया था। वर्तमान में इस मद में रु0 750.00 लाख की आवश्यकता न होने के कारण इस मद में बचत सम्भावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है। उक्त तालिका में वर्णित अतिरिक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में उपलब्ध धनराशि से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर आंकलित है।

संख्या:RE-budget-1-403-E-7-272-X-2024-25-दिनांक:20-02-2025

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0 प्रयागराज

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मनजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या - 61 /41-2-2025-CN-1792901, दिनांक 20 फरवरी, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।